भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय , पोड़ाहाट , चक्रधरपुर

नामांतरण अपील वाद संख्या 09/ 2015–16

तिलक साव उर्फ तिलक साव कसेरा एवं अन्य बनाम धनुर्धर कसेरा एवं अन्य

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
05.03.2025	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/अपीलार्थी 1. तिलक साव उर्फ तिलक साव कसेरा, पिता– स्व0 प्रसाद साव कसेरा 2. सुरेन्द्र कसेरा उर्फ सुरेन्द्र साव ,पिता– श्री तिलक साव कसेरा उर्फ तिलक साव, दोनों निवासी– वार्ड नं0 7 (पुराना) 04 (नया), कुम्हार टोली , बड़ा काली मंदिर के सामने, थाना व पो0– चक्रधरपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या 323/2015–2016, दिनांक 07.09.2015 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या 09/2015–2016 दायर किया गया है।	

भूमि का विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (ए0)
जोगीबेड़ा	77	04	160	0.44.000 ए0
कुल रकबा				0.44.000 ए0

आवेदक/अपीलार्थी 1. तिलक साव उर्फ तिलक साव कसेरा 2. सुरेन्द्र कसेरा उर्फ सुरेन्द्र साव द्वारा अपने आवेदन में यह कहा गया है कि उक्त वर्णित जमीन हाल सर्वे के खतियान में अतुल चन्द्र मंडल पिता– नयन मंडल के नाम से दर्ज है । उक्त खतियानी रैयत द्वारा उक्त जमीन फुलवंती देवी पति– श्री तिलक साव कसेरा उर्फ तिलक साव के पक्ष में निबंधित बिक्री–केवाला संख्या 2382 दिनांक 11.09.2000 को हस्तांतरित किया गया है तथा जो उनके नाम से नामांतरित होकर है। उक्त फुलवंती देवी आवेदक संख्या 1 एक की पत्नी व आवेदक संख्या 2 की माँ है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी कहा गया है कि यद्यपि उक्त जमीन फुलवंती देवी के नाम से खरीदी गई है लेकिन उक्त जमीन खरीदने हेतु सारा

05/03/25

धन उनके पति यानि आवेदक/अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा उपलब्ध कराया गया था और उक्त संपत्ति पुरे परिवार के सदस्यों के लिए खरीदी गई थी और उनका पुरा परिवार संयुक्त है तथा उक्त जमीन पर सभी का संयुक्त दखल है, लेकिन फुलवंती देवी द्वारा उक्त जमीन विपक्षी 1. धनुर्धर कसेरा 2. बिजय प्रसाद कसेरा, दोनों के पिता– श्री तिलक साव कसेरा उर्फ तिलक साव को वजरिए निबंधित बिक्री–केवाला संख्या 185 के दिनांक 11.07.2015 को हस्तातंरित कर दिया गया तथा जिसका नामांतरण विपक्षी के पक्ष में अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण मुकदमा संख्या 323/2015–2016, दिनांक 07.09.2015 के माध्यम से कर दिया गया है जो किसी भी हालत में सही एवं न्यायसंगत नहीं है। विपक्षी ने अपने जबाव में यह बताया कि उन्होने उक्त वर्णित जमीन 1,49,000/– रूपये में अपनी माँ फुलवंती देवी ,पति– श्री तिलक साव कसेरा उर्फ तिलक कसेरा से वजरिए निबंधित बिक्री–केवाला संख्या 185 के दिनांक 11.07.2015 को खरीदा है तथा बिक्री–केवाला की तारीख को ही विक्रेता फुलवंती देवी द्वारा उक्त जमीन का दखल उनदोनों को सौंप दिया गया और उसी दिन से वे दोनों उक्त जमीन को भाांतिपुर्वक भोग–दखल करते आ रहे हैं। उक्त जमीन का नामांतरण भी अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर में नामांतरण मुकदमा संख्या 323/2015–2016 के माध्यम से उनके पक्ष में हो चुका है। विपक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि फुलवंती देवी ने उक्त जमीन अपने पैसे से खरीदी थी तथा उक्त जमीन उनकी स्वअर्जित संपत्ति थी और रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण फुलवंती देवी ने उक्त जमीन उनदोनों (विपक्षी) को बेची है । निबंधन से पुर्व उक्त जमीन पर सिर्फ फुलवंती देवी का दखल–कब्जा था तथा निबंधन के बाद उक्त जमीन पर विपक्षी का दखल–कब्जा है। तथा अपीलार्थी द्वारा आज तक विपक्षी के दलील को रद्द करने के लिए किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं किया है।

आवेदक/अपीलार्थी संख्या 2 सुरेन्द्र कसेरा उर्फ सुरेन्द्र साव की मृत्यु दिनांक 10.12.2018 को हो चुकी है और उनके मरणोपरांत उनकी पत्नी ब्युटी देवी पति– स्व0 सुरेन्द्र कसेरा को पक्षकार बनाते हुए पहला नोटिस वर्श 2019 में निर्गत किया गया, लेकिन बार–बार नोटिस मिलने के बावजुद ब्युटी देवी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदे । पारित करते हुए यह सुनवाई की गई तथा दिनांक 07.01.2025 को आवेदक/अपीलार्थी संख्या 1 तिलक

05/08/25

साव उर्फ तिलक साव कसेरा की मृत्यु हो गई और उनके मरणोपरांत उनके पुत्र बिरेन्द्र प्रसाद पिता– स्व0 तिलक साव कसेरा उर्फ तिलक प्रसाद, निवासीः बड़ा काली मंदिर, वार्ड नं0 7 (पुराना), नया वार्ड नं0 4, चक्रधरपुर, थाना व पो0– चक्रधरपुर जिला– पॅ चमी सिंहभूम, झारखण्ड को पक्षकार बनाते हुए नोटिस निर्गत किया गया । नोटिस पाकर वे स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और लिखित रूप में उन्होनें स्वीकार किया कि उनकी माँ फुलवंती देवी ने उक्त वर्णित जमीन विपक्षी को निबंधित बिक्री–केवाला संख्या 185 के दिनांक 11.07.2015 के माध्यम से बिक्री की है और उक्त जमीन का नामांतरण भी विपक्षी के पक्ष में नामांतरण मुकदमा संख्या 323/2015–2016 के माध्यम से अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर में हो चुका है। न्यायालय के पत्रांक– 102/न्या०, दिनांक– 17.02.2025 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु श्रीमती ब्युटी देव, पिता– मुन्ना प्रसाद कसेरा को नोटिस निर्गत कर पोस्ट द्वारा उनकी वर्त्तमान पता में भेजा गया पत्र का प्राप्ति भी किया गया, किंतु ब्युटी देवी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। उक्त जमीन पर विपक्षी/प्रतिवादी का दखल–कब्जा है और उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् न्यायालय का यह मानना है कि अपीलार्थी का यह दावा कि उक्त जमीन खरीदने हेतु तिलक साव उर्फ तिलक साव कसेरा द्वारा फुलवंती देवी को पुरा पैसा दिया गया है तथा उक्त जमीन पुरे परिवार के लिए खरीदी गई, सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि फुलवंती देवी के विक्रय–पत्र संख्या 2382 दिनांक 11.09.2000 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। साथ ही उनका दावा मालिकाना हक एवं स्वामित्व से संबंधित है जिसका निर्धारण करने की भाक्ति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अपीलार्थी का उक्त जमीन पर यदि किसी प्रकार का दावा बनता है तो उन्हें सिविल कोर्ट जाना चाहिए। अलावे इसके अपीलार्थी बिरेन्द्र प्रसाद द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उक्त जमीन पर विपक्षी का दखल–कब्जा है । साथ ही निचली अदालत में अचंल निरीक्षिक द्वारा दिनांक 04.09.2015 को नामांतरण वाद संख्या 323/2015–2016 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भुमि को स्वयं विक्रेता क्रय की है। चुँकि उक्त भूमि विक्रेता की स्वअर्जित भूमि है अतः वे अपने संपत्ति को हस्तांतरित कर सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस निश्कर्श पर पहुँचती है कि अंचल अधिकारी , चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण

05/03/25

मुकदमा संख्या 323/2015–2016 दिनांक 07.09.2015 में पारित किया गया आदेश सहीं है और सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात् उक्त आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः इस अपील वाद को खारिज/अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को भेजें ।

5/03/25

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.03.10 12:46:25 +05:30
Location: 10.93.69.133